

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2020-अग्रहायण 6, शके 1942

भाग 3 ( 1 )

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

Company Appeal No. 86/252(3)/NCLT/AHM/2019

कमल कुमार जैन

विरुद्ध

कम्पनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर के संबंध में

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-252 (3) के संबंध में कम्पनी पीटीशन सं.86/252(3)/NCLT/AHM/2019

पीटीशन के तहत कम्पनी का नाम प्रवर्तित करने के बारे में.

यह सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, इन्दौर पीठ ने कम्पनी अपील क्रमांक 86/252/रा.क.वि. न्याय./इन्दौर/2019 में आदेश दिनांक 04-06-2020 द्वारा "सागर ग्रीन गोल्ड प्लानटेशन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड" जिसका रजिस्टर्ड पता:-विजय टॉकिज रोड, मोती नगर, सागर, मध्यप्रदेश-470002 है को कम्पनियों के रजिस्टर में पुनःस्थापना के लिये निर्देशित किया है. माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण, इन्दौर पीठ के उक्त आदेशानुसार कम्पनी जिसका नाम सागर ग्रीन गोल्ड प्लानटेशन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है को कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश द्वारा कम्पनियों के रजिस्टर में पुनःस्थापित कर दिया गया है.

(424-बी.)

Company Appeal No. 86/252(3)/NCLT/AHM/2019

IN THE MATTER OF KAMAL KUMAR JAIN

V/S

REGISTRAR OF COMPANIES, GWALIOR, MADHYA PRADESH

In the matter of company Appeal No. 86/252(3)/NCLT/AHM/2019 Regarding Restoration of name of the company "SAGAR GREEN GOLD PLANTATION GROUP PRIVATE LIMITED" U/s 252(3) of the companies Act, 2013.

Notice is hereby issued that The Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Indore Bench, vide order Dated 04-06-2020 Passed in Company Appeal No. 86/252 (3)/NCLT/AHM/2019 directed for

restoration of company namely "SAGAR GREEN GOLD PLANTATION GROUP PRIVATE LIMITED" having registered Office at Vijay Talkies Road, Moti Nagar, Sagar, Madhya Pradesh.470002, India in the register of Companies maintained by the Registrar of Companies, Gwalior Madhya Pradesh. As per said order of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) Indore Bench, the name of the company namely "Sagar Green Gold Plantation Group Private Limited" has been restored in the register of companies maintained in the Office of Registrar of Companies, Gwalior Madhya Pradesh.

For-Sagar Green Gold Plantation Group Prt. Ltd,

**KAMAL KUMAR JAIN,**

APPLICANT/APPEALEANT.

Place : Sagar.

(423-B.)

## स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

### कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

[धारा 50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-02/JBP/2020 अर्थात् ग्राम रक्षा, बसहा, कचनारी, कछपुरा, करमेता, रैगवां एवं सिमरिया बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं :-

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा (अंशों सहित)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मयंक पिता हरनारायण	पनागर	रक्षा	2	4.040
2.	श्रीमति कल्पना भोन्डेले पति मयंक भोन्डेले	पनागर	रक्षा	3	3.650
3.	ऋचा पिता चंद्र कुमार	पनागर	रक्षा	4	2.430
4.	श्रीमती माया भोन्डेले पति मनोजकुमार भोन्डेले	पनागर	रक्षा	6	3.080
5.	श्रीमती सुनैना पटेरिया पति हर्ष पटेरिया	पनागर	रक्षा	7	3.150
6.	दिवेश	पनागर	रक्षा	8	2.160
7.	श्री हर्ष	पनागर	रक्षा	9	4.090
8.	श्रीमति अमृता पत्नि आर. के.	पनागर	रक्षा	10	3.520
9.	ईशान पिता हर्ष पटेरिया	पनागर	रक्षा	11	4.040
10.	वीरेन्द्रप्रताप बल्द	पनागर	रक्षा	12	3.650
11.	फूलकुमारी जोजे	पनागर	रक्षा	13	4.190
12.	परमानंद बल्द सुरेन्द्र	पनागर	रक्षा	14	4.640
13.	कु. ईशिता पिता हर्ष पटेरिया	पनागर	रक्षा	15	4.280
14.	दिवेश	पनागर	रक्षा	16	0.040
15.	सुरभी कुमारी	पनागर	रक्षा	17	4.070
16.	हरीलाल	पनागर	रक्षा	18	2.460

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
17.	रागनी	पनागर	रक्षा	19	2.550
18.	विराट त्रिपाठी	पनागर	रक्षा	20	4.050
19.	ऋचा पिता चंद्र कुमार	पनागर	रक्षा	21	1.180
20.	ईशान पिता हर्ष पटेरिया	पनागर	रक्षा	22	3.440
21.	इशिता पटेरिया	पनागर	रक्षा	23	3.610
22.	हर्ष पिता स्व. श्री सुशीलकुमार पटेरिया	पनागर	रक्षा	24	1.470
23.	ललितेश पत्नी त्रिपाठी पिता राजेश	पनागर	रक्षा	25	2.020
24.	मनोजकुमार	पनागर	रक्षा	26	3.150
25.	श्रीमती माया भोन्डले पति मनोजकुमार भोन्डले	पनागर	रक्षा	27	1.560
26.	श्रीमती सुनेना पटेरिया पति हर्ष पटेरिया	पनागर	रक्षा	28	0.200
27.	दिवेश	पनागर	रक्षा	29	0.900
28.	शिवानंद बल्द इन्द्रनारायण	पनागर	रक्षा	44	2.600
29.	अमूल्य कुमार	पनागर	रक्षा	48	4.050
30.	श्रीमती सुनयना पति हर्ष पटेरिया	पनागर	रक्षा	50	4.040
31.	सुशील कुमार अग्रवाल, अंकुर पिता कैलाशचंद्र जैन एवं अन्य 10	पनागर	बसहा	2/1	0.216
32.	श्रीमति रेणुका पाठक पति राजेश कुमार पाठक	पनागर	बसहा	2/3	0.016
33.	राजेश कुमार पाठक पिता आई डी पाठक	पनागर	बसहा	2/4	0.016
34.	मनोज कुमार पिता मनोहर लाल जैन	पनागर	बसहा	2/5	0.016
35.	श्रीमति वैशाली जैन पति नवल कुमार जैन	पनागर	बसहा	2/6	0.016
36.	श्रीमति निर्मला पति नरेन्द्र कुमार उपाध्याय	पनागर	बसहा	4	0.380
37.	आशीष कुमार ना. बा. वल्द वली व खुद सुशीलकुमार वल्द प्रेमलाल	पनागर	बसहा	5	1.420
38.	श्रीमति रानीबाई वल्द जियालाल पति मंगीलाल	पनागर	बसहा	50	0.150
39.	द्वारकाप्रसाद, किशनलाल, सचिन साहू, दौलत राव हर्डे एवं अन्य 20,	पनागर	बसहा	52	0.520
40.	श्रीमति रानीबाई पति मंगीलाल केवट, राकेश केवट एवं अन्य 5.	पनागर	बसहा	53	0.620
41.	राकेश कुमार रमेश कु.	पनागर	बसहा	55	0.050
42.	मो. सादिक मंसूरी मो. राजिक मंसूरी पिता मो. बसीम	पनागर	बसहा	56/1	0.280
43.	अकीला परवीन, मो. कवि अहमद मोहम्मद एवं अन्य 2	पनागर	बसहा	56/2	0.280
44.	प्रदीप कुमार पिता एम. डी. गोठिया	पनागर	बसहा	57	0.250
45.	बृजेश कुमार तिवारी	पनागर	बसहा	59/1	0.170
46.	बृजेश कुमार तिवारी	पनागर	बसहा	60/1	0.385
47.	प्रदीप कुमार	पनागर	बसहा	60/2	0.305

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
48.	आशा गौतम पति ब्रजेश गौतम, ब्रजेश गौतम	पनागर	बसहा	61/1	0.120
49.	ब्रजेश गौतम	पनागर	बसहा	61/2	1.040
50.	श्रीमति सुधा शर्मा पति श्री युधिष्ठिर प्रसाद शर्मा	पनागर	बसहा	61/3	0.027
51.	डी. के. कुररिया पिता पी. डी. कुररिया	पनागर	बसहा	61/4	0.013
52.	श्री कृष्ण कांत सराफ पिता स्व. हीरालाल सराफ	पनागर	बसहा	61/5	0.046
53.	श्रीमति स्वेता पति प्रवीण कुमार पाण्डेय	पनागर	बसहा	61/6	0.033
54.	महावीर लखेरा पिता ओमप्रकाश, श्रीमति प्रियंका लखेरा पति महावीर.	पनागर	बसहा	61/7	0.015
55.	श्रीमति शशिकला लखेरा पति स्व. राम प्रकाश लखेरा	पनागर	बसहा	61/8	0.019
56.	श्रीमति शारदा लखेरा पति रविशंकर लखेरा	पनागर	बसहा	61/9	0.015
57.	जगदीश सैनी वल्द स्व. नीलकंठ सैनी	पनागर	बसहा	62	1.290
58.	अर्जुन जयसवाल वल्द रामजी जयसवाल	पनागर	बसहा	64/1	0.170
59.	शासकीय	पनागर	बसहा	2/2	0.720
60.	शासकीय	पनागर	बसहा	51	0.440
61.	शासकीय	पनागर	बसहा	54	0.780
62.	शासकीय	पनागर	बसहा	58	0.230
63.	शासकीय	पनागर	बसहा	59/2	0.550
64.	शासकीय	पनागर	बसहा	64/2	0.770
65.	श्रीमति प्रभा पटेल पति मुकेशकुमार पटेल	पनागर	कचनारी	40	0.100
66.	श्रीमति विद्याबाई पति अजय पटेल, अनिल, अमित पिता अजय.	पनागर	कचनारी	41	0.100
67.	प्रभा पटेल	पनागर	कचनारी	42	1.120
68.	श्रीमती माया पटेल	पनागर	कचनारी	44	1.910
69.	दौलत राम, शांति बाई पति स्व. दौलत राम एवं अन्य 11	पनागर	कचनारी	45	2.350
70.	श्रीमति रेणू नंदवानी पति किशोर नंदवानी	पनागर	कचनारी	50/1	0.270
71.	श्रीमति मनीषा नंदवानी पति अनिल कुमार नंदवानी	पनागर	कचनारी	50/2	0.470
72.	सुनील कुमार पिता शंकरलाल	पनागर	कचनारी	50/3	1.200
73.	मनीषा नंदवानी वल्द पति अनिल नंदवानी	पनागर	कचनारी	51/1	1.860
74.	सुधीर बुधरानी वल्द जाडियामल बुधरानी	पनागर	कचनारी	51/2	0.040
75.	रामायण प्रसाद	पनागर	कचनारी	52	0.600
76.	अशोक कुमार	पनागर	कचनारी	53	0.600
77.	नागेन्द्र कुमार	पनागर	कचनारी	54	0.600
78.	रामेश्वरीदेवी बेबा रामचीज	पनागर	कचनारी	55	1.190
79.	राजाराम	पनागर	कचनारी	56	1.170
80.	अशोक नगेन्द्रकुमार	पनागर	कचनारी	57	1.140

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
81.	अनिल कुमार वल्द श्यामलाल त्रिवेणी बाई बेवा श्यामलाल	पनागर	कचनारी	58	0.490
82.	श्रीमति विद्याबाई पति अजय पटेल, अनिल, अमित पिता अजय पटेल.	पनागर	कचनारी	59	0.500
83.	श्रीमति मोनिका पति अर्जुन नामदेव	पनागर	कचनारी	60	1.280
84.	अशोक कुमार	पनागर	कचनारी	61	0.600
85.	नागेन्द्र कुमार	पनागर	कचनारी	62	0.640
86.	मुनीष राजानी पिता रेवाचंद राजानी	पनागर	कचनारी	62/2	0.520
87.	जुम्मी बी बेवा नूर मोहम्मद मो., अकरम एवं अन्य 5	पनागर	कचनारी	63/1	0.410
88.	शेख यूसुफ	पनागर	कचनारी	63/2	0.410
89.	शेख इमाउद्दीन	पनागर	कचनारी	63/3	0.410
90.	सलमा बी पति स्व. अब्दुल बहाव, मोहम्मद सफीक एवं अन्य 2	पनागर	कचनारी	63/4	0.400
91.	ताजवी बेवा मोहम्मद अफजल, कवि अहमद, फैज अहमद एवं अन्य 4.	पनागर	कचनारी	64	1.590
92.	अंकीतकुमार ना. वा. वल्द बली	पनागर	कचनारी	65	1.080
93.	सर. मु. मीराबाई बेवा कुंजीलाल एवं अन्य 10	पनागर	कचनारी	66	1.210
94.	श्रीमति माया बिलथरिया पति पुरूषोत्तम बिलथरिया	पनागर	कचनारी	67/1	1.200
95.	श्रीमति रीटा बजाज पति महेश बजाज	पनागर	कचनारी	68/1	0.300
96.	श्रीमति सरला राजानी पति रेवाचंद राजानी	पनागर	कचनारी	68/2	1.120
97.	मनोरमा स्वामी	पनागर	कचनारी	68/3	0.298
98.	राजकुमार पटेल, राजेंद्र कुमार पटेल एवं अन्य 6	पनागर	कचनारी	68/4	0.370
99.	ए. के. दीक्षित पिता एच. एस. दीक्षित	पनागर	कचनारी	68/5	0.152
100.	रेवाशंकर पिता कुंजीलाल एवं अन्य 7	पनागर	कचनारी	71	2.340
101.	मनकोरा बाई, मूलचंद	पनागर	कचनारी	72	1.040
102.	मनकोरा बाई, मूलचंद	पनागर	कचनारी	74	0.600
103.	हेमचंद	पनागर	कचनारी	75	0.180
104.	हेमचन्द्र पिता इमरत लाल पटेल	पनागर	कचनारी	78	0.220
105.	प्रेमलाल, प्रेमलाल	पनागर	कचनारी	79	0.250
106.	प्रेमलाल, प्रेमलाल एवं अन्य 5	पनागर	कचनारी	80	0.240
107.	हेमचंद	पनागर	कचनारी	81/1	0.230
108.	मुकेश पिता आर. सी. रजानी, मुनीष राजानी	पनागर	कचनारी	81/2	0.800
109.	श्रीमति कल्पना पत्नि शंकर श्रीवास्तव	पनागर	कचनारी	82	0.840
110.	प्रेमलाल, डी. पी. तिवारी एवं अन्य 5	पनागर	कचनारी	83	0.290
111.	प्रेमलाल एवं अन्य 5	पनागर	कचनारी	84	0.290
112.	हेमचन्द्र पिता इमरत लाल पटेल	पनागर	कचनारी	85	0.810

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
113.	चैनाबाई पति स्व. बृजलाल लेखराम एवं अन्य 9	पनागर	कचनारी	86	0.720
114.	प्रकाश तिवारी स्व. राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	पनागर	कचनारी	87	0.660
115.	प्रकाश तिवारी स्व. राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	पनागर	कचनारी	88	0.340
116.	रामेश्वर प्रसाद, सुशील रानी पति स्व. रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य 2.	पनागर	कचनारी	89	2.920
117.	तेजराम वल्द जीवनलाल एवं अन्य 6	पनागर	कचनारी	95	0.120
118.	इमरत लाल एवं अन्य 8	पनागर	कचनारी	96	0.640
119.	कृतिका वर्तिमा व वल्द स्व. राजसिंह लक्ष्मीबा एवं अन्य	पनागर	कचनारी	105	1.510
120.	कृतिका वर्तिमा व वल्द स्व. राजसिंह लक्ष्मीबा एवं अन्य	पनागर	कचनारी	106	1.510
121.	श्रीमती लक्ष्मीबाई पति स्वराज सिंह वर्तिमा कृतिका एवं अन्य	पनागर	कचनारी	109	0.660
122.	बलराम शलिकराम रामदुलारी	पनागर	कचनारी	110	2.180
123.	कृष्णकुमार सूर्यकुमार वल्द आशाराम एवं अन्य 4	पनागर	कचनारी	111	0.940
124.	दौलतराम, शांतिबाई पति स्व. दौलतराम एवं अन्य 12	पनागर	कचनारी	112	0.240
125.	अनिल कुमार पिता श्यामलाल एवं अन्य 6	पनागर	कचनारी	113	0.250
126.	अनिल कुमार पिता श्यामलाल एवं अन्य 6	पनागर	कचनारी	114	0.230
127.	सियादुलारी पति स्व. रेवाशांकर एवं अन्य 7	पनागर	कचनारी	115	0.180
128.	माया पति पुरूषोत्तम विल्थरिया	पनागर	कचनारी	116	0.360
129.	बृजमोहन सिंह	पनागर	कचनारी	117	1.060
130.	राशीन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह	पनागर	कचनारी	118	1.060
131.	शशीन्द्र सिंह	पनागर	कचनारी	119	1.060
132.	प्रवीण सिंह	पनागर	कचनारी	120	1.060
133.	प्रशान्त सिंह	पनागर	कचनारी	121	1.050
134.	शीला देवी	पनागर	कचनारी	122	1.060
135.	शंकर लाल	पनागर	कचनारी	123/1	0.200
136.	धनपत पिता शंकरलाल	पनागर	कचनारी	123/2	0.200
137.	लालमन पिता शंकरलाल, विनोद केवट	पनागर	कचनारी	123/3	0.200
138.	मुन्नालाल पिता शंकरलाल	पनागर	कचनारी	123/4	0.200
139.	राधेलाल	पनागर	कचनारी	124	1.050
140.	पुत्तुलाल	पनागर	कचनारी	125	1.290
141.	घनश्याम दास खत्री, नगेन्द्र सिंह वल्द लक्ष्मनसिंह	पनागर	कचनारी	126	1.880
142.	रमेश वल्द श्यामसुन्दर	पनागर	कचनारी	129	0.690
143.	रमेश वल्द श्यामसुन्दर	पनागर	कचनारी	130	0.800
144.	अनुराग जैन पिता नरेश चंद जैन गडवाल	पनागर	कचनारी	131	0.730
145.	श्रीमति गुमता बाई पटैल पति भोलाराम पटैल एवं अन्य 5	पनागर	कचनारी	132	0.630
146.	श्रीमति विद्याबाई पति अजय पटैल अनिल अमित	पनागर	कचनारी	133	0.410

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
147.	भोलाप्रसाद एवं अन्य 5	पनागर	कचनारी	134	0.410
148.	मेसर्स गोदावरी प्रमोटर एण्ड डे द्वारा पार्टनर श्रीमति नीलिमा	पनागर	कचनारी	135/1	0.420
149.	माँ बडी खेरमाई मार्केटिंग प्रा. लि. श्री ताराचंद खत्री	पनागर	कचनारी	135/2	0.990
150.	रामजी वल्द स्व. रघुवीर प्रसाद रजक, शिव कुमार पटैल	पनागर	कचनारी	136	0.570
151.	श्रीमति पिरागोबाई पति नन्हूसिंह	पनागर	कचनारी	137	0.490
152.	माँ बडी खेरमाई मार्केटिंग प्रा. लि. श्री ताराचंद खत्री	पनागर	कचनारी	138	1.100
153.	अरविन्द्र, अतुल कुमार	पनागर	कचनारी	143	1.000
154.	अरविन्द्र, अतुल कुमार	पनागर	कचनारी	144	0.850
155.	श्रीमति सुशीलारानी पति रामेश्वरप्रसाद तिवारी	पनागर	कचनारी	145/1	1.000
156.	अरविन्द्रकुमार वल्द गुलाबचंद जैन	पनागर	कचनारी	145/2	0.860
157.	बद्रीप्रसाद साहू पिता स्व. करनलाल साहू	पनागर	कचनारी	146/1	0.600
158.	श्रीमति रजनी पति बद्रीप्रसाद साहू	पनागर	कचनारी	146/2	0.670
159.	श्रीमति उमादेवी चौधरी पति रतिराम चौधरी	पनागर	कचनारी	147/1	0.445
160.	भीकम प्रसाद पिता रामदयाल सिगरहा	पनागर	कचनारी	147/2	0.445
161.	राकेशकुमार वल्द भंगीलाल केवट	पनागर	कचनारी	148	0.440
162.	अशोक होतवानी पिता एल. एम. होतवानी एवं अन्य 1	पनागर	कचनारी	149	0.350
163.	शासकीय	पनागर	कचनारी	73	0.040
164.	शासकीय	पनागर	कचनारी	139	0.320
165.	शासकीय	पनागर	कचनारी	150	0.200
166.	श्रीमति नेहा सिंघई पत्नि मुकेश सिंघई, निर्मिला अग्रवाल	जबलपुर	कछपुरा	14/2, 17/2	0.300
167.	श्रीमति ज्योति केमतानी पति सुरेश केमतानी	जबलपुर	कछपुरा	16/2	0.008
168.	श्रीमति नेहा सिंघई पत्नि मुकेश सिंघई, निर्मिला अग्रवाल	जबलपुर	कछपुरा	14/1, 17/1, 18/3	0.246
169.	श्रीमति ज्योति केमतानी पति सुरेश केमतानी	जबलपुर	कछपुरा	17/2	0.094
170.	श्रीमति नेहा सिंघई पत्नि मुकेश सिंघई, निर्मिला अग्रवाल	जबलपुर	कछपुरा	14/3, 16/1, 17/3	0.300
171.	कैलाशकुमार शुक्ला वल्द छोटेला लाल शुक्ला	जबलपुर	कछपुरा	18/2	0.057
172.	योगेन्द्र मोहन तिवारी पिता संतकुमार तिवारी	जबलपुर	कछपुरा	18/2/1, 19/3/1	0.101
173.	श्रीमति नेहा सिंघई पत्नि मुकेश सिंघई, निर्मिला अग्रवाल	जबलपुर	कछपुरा	18/2/1/1	0.064
174.	जबलपुर विकास प्राधिकरण	जबलपुर	कछपुरा	26/1	0.016
175.	कैलाश कुमार शुक्ला	जबलपुर	कछपुरा	26/2	0.426
176.	श्रीमति ज्योति केमतानी पति सुरेश केमतानी	जबलपुर	कछपुरा	27	0.704
177.	वीरेन्द्रकुमार, हरिशंकर एवं अन्य 3	जबलपुर	कछपुरा	28/1	0.344
178.	कृष्णकांत राघवेन्द्र पिता स्व. गंगाप्रसाद एवं अन्य 2	जबलपुर	कछपुरा	28/2	0.327
179.	हरिशचंद वल्द गब्बू	जबलपुर	कछपुरा	28/3, 29/1	0.443
180.	श्रीमती कमला पटेल पति स्व. जगदीश पटेल मयंक, अंजनी, मयंक.	जबलपुर	कछपुरा	28/4	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
181.	सुरेन्द्र पटेल एवं अन्य 7	जबलपुर	कछपुरा	29/2	0.210
182.	श्रीमती कमला पटेल पति स्व. जगदीश पटेल मयंक, अंजनी, मयंक.	जबलपुर	कछपुरा	29/2/1	0.203
183.	हेमंत श्रीवास्तव पिता स्व. किशोरी लाल श्रीवास्तव, अक्षत श्रीवास्तव.	जबलपुर	कछपुरा	65/1	0.052
184.	मंजू गुप्ता पति राकेश गुप्ता	जबलपुर	कछपुरा	65/1/1	0.045
185.	श्रीमति मंजू गुप्ता पति राकेश गुप्ता	जबलपुर	कछपुरा	65/1/2	0.035
186.	श्रीमति विभा निगम पति अपूर्व निगम	जबलपुर	कछपुरा	65/1/3	0.030
187.	कृष्णाकांत राघवेन्द्र पिता स्व. गंगाप्रसाद एवं अन्य 2	जबलपुर	कछपुरा	65/2	0.271
188.	वीरेन्द्रकुमार हरिशंकर एवं अन्य 3	जबलपुर	कछपुरा	66/1	0.194
189.	शिव प्रसाद वल्द लच्छू	जबलपुर	कछपुरा	66/2	0.118
190.	शीतल वल्द कालूराम	जबलपुर	कछपुरा	66/4	0.117
191.	नारायण	जबलपुर	कछपुरा	66/5	0.118
192.	विश्वनाथ प्रमोद वल्द बालवंतराज भसीन	जबलपुर	कछपुरा	67/1, 68/1	1.355
193.	वीरेन्द्र कुमार हरिशंकर होरीलाल दयाशंकर महेन्द्र कुमार	जबलपुर	कछपुरा	67/2	0.547
194.	हरिशचंद वल्द गब्बू	जबलपुर	कछपुरा	68/2	0.035
195.	वीरेन्द्रकुमार वल्द श्री महावीरसिंह	जबलपुर	कछपुरा	68/2/क	0.370
196.	वीरेन्द्रकुमार वल्द श्री महावीरसिंह	जबलपुर	कछपुरा	68/3/क	0.090
197.	शासकीय	जबलपुर	कछपुरा	30	0.433
198.	शासकीय	जबलपुर	कछपुरा	31	0.245
199.	शासकीय	जबलपुर	कछपुरा	66/3	0.011
200.	वीरनारायण देवी सिंह एवं अन्य 9	पनागर	करमेता	489/1, 490/1	0.118
201.	गुरसिख एग्रो एंड स्टेट, अजय सिंह मल्होत्रा	पनागर	करमेता	489/2, 490/2	0.263
202.	श्री ओमप्रकाश मतानी पिता श्री रूपचन्द्र मतानी	पनागर	करमेता	489/3, 490/3	0.263
203.	वन्दना तिवारी, हीरा सिंह	पनागर	करमेता	489/4, 490/4	0.263
204.	श्री ओमप्रकाश मतानी पिता श्री रूपचन्द्र मतानी एवं अन्य 2	पनागर	करमेता	493/1	0.077
205.	श्री वृजकिशोर अग्रवाल एवं नवल किशोर अग्रवाल	पनागर	करमेता	493/2	0.180
206.	श्री वृजकिशोर अग्रवाल एवं नवल किशोर अग्रवाल	पनागर	करमेता	493/3	0.036
207.	श्री सुनील दुबे, अजय दुबे अभय दुबे	पनागर	करमेता	493/4	0.180
208.	श्री वृजकिशोर अग्रवाल एवं नवल किशोर अग्रवाल	पनागर	करमेता	493/5	0.108
209.	श्री ओमप्रकाश मतानी पिता श्री रूपचन्द्र मतानी	पनागर	करमेता	493/6	0.180
210.	श्री ओमप्रकाश मतानी पिता श्री रूपचन्द्र मतानी	पनागर	करमेता	493/7	0.180
211.	श्री सुनील दुबे, अजय दुबे अभय दुबे, पाटनर	पनागर	करमेता	493/8	0.144
212.	श्री ओमप्रकाश मतानी पिता श्री रूपचन्द्र मतानी एवं अन्य 2	पनागर	करमेता	493/9	0.072
213.	श्री गोविन्द प्रसाद वल्द भगवानदास विश्वकर्मा	पनागर	करमेता	494/1	0.013



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
214.	श्री विशाल सोनी	पनागर	करमेता	494/2	0.014
215.	श्रीमती किरण पति किरण सिंह सिसोदिया	पनागर	करमेता	494/3	0.014
216.	श्रीमती कल्पना पति श्री विष्णु चौबे	पनागर	करमेता	494/4	0.014
217.	श्री बुद्धू लाल वल्द उद्देत रजक	पनागर	करमेता	494/5	0.012
218.	श्रीमती चेना बाई	पनागर	करमेता	494/6	0.014
219.	मेसर्स जय माँ कन्स्ट्रक्शन रानी सेन, पाटनर अन्य 5	पनागर	करमेता	494/7	0.040
220.	श्रीमती मधु तिवारी, नितिन, शानु	पनागर	करमेता	494/8	0.012
221.	श्रीमती सविता	पनागर	करमेता	494/9	0.013
222.	मे. जय माँ कन्स्ट्रक्शन पाटनर नीरज जिंदल, संजय कुमार लालवानी.	पनागर	करमेता	494/10	0.014
223.	श्री विष्णु वल्द हरप्रसाद चौबे	पनागर	करमेता	495/1	0.248
224.	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, पदमा गुप्ता, विभा गुप्ता	पनागर	करमेता	495/2	0.400
225.	श्री विष्णु वल्द हरप्रसाद चौबे	पनागर	करमेता	496/1	0.210
226.	विभा चौबे पिता विष्णु प्रसाद चौबे, शुभ एसोसिएट प्रभात श्रीवास्तव	पनागर	करमेता	496/2	0.333
227.	शुभा चौबे पिता विष्णु प्रसाद चौबे, गौरव साहू	पनागर	करमेता	497/1	0.176
228.	विभा चौबे पिता विष्णु प्रसाद चौबे एवं अन्य 4	पनागर	करमेता	497/2	0.467
229.	श्री सूर्यकान्त साहू एवं अन्य 14	पनागर	करमेता	502/4	0.081
230.	श्री पदम कुमार जैन एवं अन्य 19	पनागर	करमेता	502/9, 538/2	0.269
231.	श्री मनोज साहू एवं अन्य 4	पनागर	करमेता	502/10	0.093
232.	श्री राजेश जैन पिता सुरेन्द्र कुमार जैन नागेन्द्र जैन अनीता जैन	पनागर	करमेता	505	0.040
233.	नागेन्द्र जैन अनीता जैन	पनागर	करमेता	506	0.154
234.	उमाबाई केवट विजय कुम्भार	पनागर	करमेता	507/1, 507/2	0.182
235.	विजय, भगवती रजनी किलाबाई छिदामी लाल महेरे एवं अन्य 4	पनागर	करमेता	508	0.182
236.	विजय भगवती ब्रजेश एवं अन्य 18	पनागर	करमेता	509	0.344
237.	विजय भगवती रजनी किन्ना बाई ललित केवट सोनू बल्ली एवं अन्य 2	पनागर	करमेता	510	0.113
238.	विजय कुंभारे	पनागर	करमेता	511/1	0.045
239.	भगवती रजनी सीमा पांडे	पनागर	करमेता	511/2	0.045
240.	श्रीमती दिलशाद पति मिर्जा रमानी	पनागर	करमेता	511/3	0.097
241.	श्री नागेन्द्र जैन राजेश जैन अनिता जैन	पनागर	करमेता	512	0.186
242.	श्रीमती दिलशाद पति मिर्जा रमानी	पनागर	करमेता	513	0.340
243.	श्रीमती नीलम आनंदानी पति सुरेश आनंदानी	पनागर	करमेता	514/1	0.163

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
244.	श्रीमती शकुन बाई पति दशरथ सिंह पटैल	पनागर	करमेता	514/2	0.181
245.	श्री गिरधारी लाल वल्द दरबारी लाल	पनागर	करमेता	519/1	0.138
246.	श्री गिरधारी लाल वल्द दरबारी लाल	पनागर	करमेता	519/3	0.004
247.	प्रसन्न कुमार चौबे पिता स्व. श्री अनिल कुमार चौबे	पनागर	करमेता	520	0.077
248.	प्रसन्न कुमार चौबे पिता स्व. श्री अनिल कुमार चौबे	पनागर	करमेता	521	0.243
249.	प्रसन्न कुमार चौबे पिता स्व. श्री अनिल कुमार चौबे	पनागर	करमेता	522	1.117
250.	प्रसन्न कुमार चौबे पिता स्व. श्री अनिल कुमार चौबे	पनागर	करमेता	523	1.238
251.	अरूण पाराशर वल्द वी.पी पाराशर	पनागर	करमेता	524/1	0.534
252.	श्रीमती रितु पाराशर पति श्री अशोक पाराशर	पनागर	करमेता	525/1	1.214
253.	श्रीमती रितु पाराशर पति श्री अशोक पाराशर	पनागर	करमेता	524/2	0.207
254.	वल्देव प्रसाद	पनागर	करमेता	525/2	0.040
255.	अबीर पाराशर पिता अरूण पाराशर	पनागर	करमेता	526/1	0.356
256.	गोविन्द प्रसाद एवं अन्य 10	पनागर	करमेता	526/2	0.296
257.	अरूण पाराशर वल्द वी.पी पाराशर	पनागर	करमेता	531	1.327
258.	शासकीय	पनागर	करमेता	489/5, 490/5	0.045
259.	शासकीय	पनागर	करमेता	516	0.121
260.	शासकीय	पनागर	करमेता	517	0.692
261.	शासकीय	पनागर	करमेता	518/1	1.138
262.	शासकीय	पनागर	करमेता	518/2	0.003
263.	शासकीय	पनागर	करमेता	519/4	0.214
264.	रविशंकर	पनागर	रैगवां	302	1.110
265.	रविशंकर	पनागर	रैगवां	303	0.380
266.	श्रीमति स्नेहलता जैन पति राजेश जैन उमा त्रिपाठी	पनागर	रैगवां	304	0.270
267.	श्रीमति स्नेहलता जैन पति राजेश जैन	पनागर	रैगवां	305	0.240
268.	श्रीमति नीलम जैन पति मिलन जैन	पनागर	रैगवां	306	0.430
269.	श्रीमति नीलम जैन पति मिलन जैन	पनागर	रैगवां	307	0.430
270.	श्रीमति रेनू अग्रवाल पति हेमंत अग्रवाल	पनागर	रैगवां	308	0.270
271.	संजय जैन पिता सुरेन्द्र कुमार जैन	पनागर	रैगवां	312	0.280
272.	संजय जैन पिता सुरेन्द्र कुमार जैन	पनागर	रैगवां	313/1	0.280
273.	महेन्द्र कुमार ओसवाल पिता स्व. बी. एम. ओसवाल एवं अन्य 1.	पनागर	रैगवां	313/2	0.200
274.	चक्रेश सिंघई पिता ज्ञानचंद सिंघई श्रीमति सीमा	पनागर	रैगवां	313/3	0.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(हेक्टेयर में)
275.	श्रीमति उर्मिलादेवी पति मुरली मनोहर पचौरी	पनागर	रैगवां	314	0.190
276.	अंकित सिंघई पिता लक्ष्मी चंद सिंघई एवं अन्य 4	पनागर	रैगवां	316/1	0.200
277.	संजय कुमार जैन पिता सुरेन्द्र कुमार जैन	पनागर	रैगवां	316/2	0.110
278.	अखिल कुमार दुबे एवं अन्य 3	पनागर	रैगवां	316/3	0.110
279.	हजारी सिंह चौहान	पनागर	रैगवां	316/4	0.066
280.	केशव पटेल पिता कढोरीलाल पटेल	पनागर	रैगवां	317	0.130
281.	कुमारी प्राची जैन वल्द शांतिकुमार जैन	पनागर	रैगवां	318	0.400
282.	राकेश प्रसाद	पनागर	रैगवां	339	0.700
283.	विजयरानी बेवा सिंघई	पनागर	रैगवां	340	2.080
284.	कुमारी प्राची जैन वल्द शांतिकुमार जैन	पनागर	रैगवां	342	2.000
285.	राकेश प्रसाद	पनागर	रैगवां	343	4.040
286.	पूरन लाल पिता स्व. सूरज प्रसाद रानू बाई अंजली बाई एवं अन्य 2.	पनागर	रैगवां	345	0.360
287.	गंगाराम पिता घसीटे एवं अन्य 9	पनागर	रैगवां	346	0.400
288.	शासकीय	पनागर	रैगवां	309	0.210
289.	शासकीय	पनागर	रैगवां	310	0.200
290.	शासकीय	पनागर	रैगवां	311	0.260
291.	रामभूशण वल्द मेनकाप्रसाद	पनागर	सिमरिया	67/1	2.420
292.	जयश्री	पनागर	सिमरिया	68/1, 68/3	0.100
293.	विजयकुमार अजयकुमार	पनागर	सिमरिया	71/1	1.030
294.	अजयकुमार विजयकुमार इन्दुरख्या	पनागर	सिमरिया	73/1	0.920
295.	अजयकुमार विजयकुमार इन्दुरख्या	पनागर	सिमरिया	73/2	0.410
296.	अजयकुमार विजयकुमार इन्दुरख्या	पनागर	सिमरिया	73/3	0.810
297.	अनिलकुमार पिता टी. सी. नंदवानी	पनागर	सिमरिया	73/4	0.520
298.	सुशीलकुमार	पनागर	सिमरिया	74	3.370
299.	मनीष पटैल वल्द शान्तीलाल एवं अन्य 8	पनागर	सिमरिया	75	1.010
300.	मनीष पटैल वल्द शान्तीलाल एवं अन्य 9	पनागर	सिमरिया	76/2	0.940
301.	स	पनागर	सिमरिया	77	2.200
302.	शासकीय	पनागर	सिमरिया	71/2	0.010
				<b>कुल</b>	<b>227.577</b>

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

**राजेन्द्र राय,**  
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

**कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल**  
प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल

**प्रारूप –सोलह**

(नियम 19(2) देखिए)

[धारा 50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

क्रमांक 175/सीइओ/ईई 6/ दिनांक 30/09/20 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि भोपाल विकास प्राधिकरण नगर विकास स्कीम क्रमांक 203/2020 अर्थात् तहसील हुजूर, ग्राम गौरा व सेवनियां गौड़-वनस्पति उद्यान बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:-

योजना की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:-

दक्षिण दिशा में : ग्राम गोरा को जाने वाला मार्ग एवं ज्यूडिशियल एकेडमी की उत्तरी सीमा.

पश्चिम दिशा में : ग्राम विशन खेड़ी की पूर्वी सीमा.

उत्तर दिशा में : बड़ा तालाब.

पूर्व दिशा में : बड़ा तालाब

योजना में शामिल खसरों का विवरण निम्नानुसार है।

ग्राम – सेवनिया गौड़

S.No.	Khasra Number	Area In Hactare Govt.	Area In Hactare Private	Owner
1.	2.	3.	4.	5.
1.	114	13.229		M.P FOREST DEPT.
2.	111		0.409	Goha
3.	110	8.094		M.P.P.H.E
4.	50	6.514		M.P Tourism
5.	106			
6.	106/1		1.052	Madhu Goyal and Pradeep Goyal
7.	106/2/1/K		0.324	Narottam Tiwari and shri ram tiwari
8.	106/2/1/kha	0.121		M.P.Tourism
9.	106/2/2		1.335	Anarkali urf Arti Tiwari
	108			
10.	108/1		2.986	M/s Kunal Builders pvt.ltd
11.	108/2	0.405		M.P Tourism
12.	109			
13.	109/1		0.102	M/s Kunal Builders pvt.ltd
14.	109/2		0.303	M/s Sevaniya botnicals office 08 Orchid Chuna Bhati.

1.	2.	3.	4.	5.
15.	107		2.169	M/s Kunal Builders pvt.ltd
16.	105		0.737	Village Road
17.	104		8.053	R.M. Gokuldas
18.	89	10.34	}	Court Tehsil dar +School (C.P.A)
19.	41	5.014		Nistar (Abadi)
20.	87	0.598		Nistar (Abadi)
21.	61		0.163	Village Road
22.	62		0.117	M/s Kunal Builders pvt.ltd
23.	63		0.69	M/s Kunal Builders pvt.ltd
24.	64		0.256	M/s Kunal Builders pvt.ltd
25.	65		0.109	Village Road
26.	66		0.036	kanhiya lal, Ram charan ,Banwari lal
27.	67		0.073	M/s Sevaniya Charaties
28.	68		0.073	Ram swaroop , ramesh ,gurudayal & others
29.	69		0.239	Village Road
30.	70		0.036	kanhiya lal, Ram charan , Banwari lal
31.	71		0.028	Mannulal ,babulal
32.	72		0.109	Anand prakash, Sunita prakash & others
33.	73		0.057	Kamla bai & others
34.	74			
35.	74/1		0.064	Gokalpuranchunnilal babulalprabhulal
36.	74/2		0.061	Omveer Singh s/o late Hargulal Singh & others
37.	75	0.15		Nistar
38.	76		0.125	Village Road
39.	77		0.028	Madhu Goyal and Pradeep Goyal
40.	78		0.061	kanhiya lal, Ram charan , Banwari lal
41.	79		0.012	Babu lal Jhabu lal
	80			
42.	80/1		0.057	Banvarilal Prabhudayal
43.	80/2		0.064	Kanhaiyalal s/o Late Prabhudayal & others
44.	80/3		0.069	Ramcharan s/o Late Prabhudayal
	81			

1.	2.	3.	4.	5.
45.	81/1/1		0.044	Rajobai w/o Hiralal
46.	81/1/2		0.045	Leelabai w/o Radhelal
47.	81/1/3		0.089	Motibai w/o Shankarlal & others
48.	81/2/ka		0.044	Rambai w/o Shankarlal
49.	81/2/kha		0.044	Shushilabai w/o Moolchand
50.	82		0.012	Banvarilal Prabhudayal & others
51.	83		0.49	Village Road
	84			
52.	84/1/1/2/0001		0.038	Ramkuber Yadav s/o amdas yadav
53.	84/1/1/2/0002		0.023	Narendra kumar Shrivastav
54.	84/1/1/k		0.02	Kajuma Joseph
55.	84/1/2		0.02	Lakhanlal Bundela
56.	84/2		0.02	Omprakash s/o Mangilal
57.	85		0.049	Girwar singh Gyan singh
	86			
58.	86/1		0.064	Govind Paliwal
59.	86/2		0.065	Vasuda w/o Bramdev singh
60.	87	0.598		Nistar
61.	88		0.15	Village Road
62.				
63.	90		0.356	Rajender kumar, Madan lal & others
64.	91		0.098	Ramsi W/o Har lal
65.	92/1		0.04	Pramila soni w/o Chandra Mohan soni
66.	92/2		0.114	Jiyaulahkha s/o inamullahkha
67.	93		0.109	Suresh chand Ram bharose
68.	94		0.101	Ram Kishan S/o Kalla
	95			
69.	95/ka		0.075	Leela Sarvaiya w/o Gorelal & others
70.	95/kha		0.034	VimlaBai w/o Munshilal
71.	96		0.21	Niyamat ullaah & others
72.	97		0.733	pathar Ganoht
73.	98		0.065	Gore Lal S/o Balram
74.	99		0.97	Panna ben Patel

1.	2.	3.	4.	5.
75.	100		0.085	Bare lal s/o Brij Lal
76.	101		0.061	Commander Mumtaj Hassan
	102			
77.	102/1		0.061	Kashiram s/o Biharilal
78.	102/2		0.06	Jamanaprasad s/o Biharilal
79.	103		0.105	Madhu Goyal and Pradeep Goyal
80.	51		0.089	Nalla
	52			
81.	52/1	1.761		Bhoj Wetland
82.	52/2/1		0.415	M/s Kunal Builders
83.	52/2/2		1.085	M/s sevaniya Botnical
	53			
84.	53/1	0.125		Bhoj Wetland
85.	53/2/1		3.185	M/s Kunal Builders
86.	53/2/2		0.534	Mashers sevaniya Botnical
	54			
87.	54/Ka	1.729		Bhoj Wetland
88.	54/Kha		0.966	M/s Kunal Builders
	55			
89.	55/ka/1		0.841	Kanhaiyalal s/o Late Prabhudayal
90.	55/ka/2		0.174	Kanhaiyalal Ramcharan vanvarilal
91.	55/Kha	1.486		Gram
92.	48	7.09		M.P C.P.A
	56			
93.	56/ka	0.202		Gram
94.	56/kha		0.203	M/s N.G Infrastructure
95.	56/ga		0.574	Pushpa singh d/o Jaswant singh
96.	56/gha	0.437		Bhoj Wetland
97.	56/da		0.364	K rishipatnikarnelkrishi anand
98.	56/cha		0.255	Govt.
99.	56/ja		0.117	Dilip Builcon Ltd.
100.	56/jha		0.121	Seema Suryavanshi w/o Dilip Suryavanshi
101.	56/gya	0.084		Bhoj wet land
102.	56/ta	0.081		Bhoj wet land

1.	2.	3.	4.	5.
103.	57		5.74	M/s Kunal Builders
104.	58		6.07	M/s kunal Builders
	59			
105.	59/ka		0.427	M/s kunal Builders
106.	59/kha		0.471	Madhu Goyal and Pradeep Goyal
107.	60		0.887	Madhu Goyal and Pradeep Goyal
108.	42		0.134	Village Road
109.	43		1.04	M/s Kunal Builders
110.	44		6.305	M/s kunal Builders
111.	45		6.475	M/s Kunal Builders
	46			
112.	46/ka/1		0.838	Jaya Bachan w/o Amitab Bachan
113.	46/ka/2		0.66	Jaya Bachan w/o Amitab Bachan
114.	46/ka/3/1		0.314	Vanvarilal Prabhudayal
115.	46/ka/3/2		0.526	Jaya Bachan w/o Amitab Bachan
116.	46/kha	0.899		Bhoj Wetland
	47			
117.	47/Ka		3.837	M/s Kunal Builders
118.	47/Kha	0.238		Bhoj Wetland
119.	48	7.09		M.P. C.P.A
120.	49		0.462	Nalla
	13			
121.	13/1/1		0.101	Meena Patel
122.	13/1/2		0.101	Hari Krishna sharma
123.	13/2		0.202	Baat Shri w/o Bramnarayan
124.	13/3/1		0.101	Meeradevi Yadav
125.	13/3/2		0.101	Bindu yati
126.	13/4/1/000/1		1.93	Achit Goyal & others
127.	13/4/1/1/000/2		0.101	Ashutosh Janeriya
128.	13/4/1/2		0.068	Praful seth
129.	13/4/1/3		0.101	Minakshi Tekwani
130.	13/4/1/4		0.101	Anila Gulati
131.	13/4/1/5		0.05	Abhilasha Verma
132.	13/4/1/6		0.099	Kiran Sharma



1.	2.	3.	4.	5.
133.	13/4/1/7		0.05	Abhilasha Verma
134.	13/4/1/8		0.098	Kunti Pandey
135.	13/4/1/9		0.106	Lalita Singh & others
136.	13/4/1/10		0.102	Bhagwaan dev Israni
137.	13/4/1/11		0.108	Himanshi Sharma
138.	13/4/2/1		0.101	Hari Krishna sharma
139.	13/4/2/2		0.101	Hari Krishna sharma
	14			
140.	14/1		0.809	Pratav Singh
141.	14/2/1/1/14/2/2		0.296	Kiran Agrawal & others
142.	14/2/1/2/14/2/2		0.02	Captain Vikas Pandey
143.	14/2/1/3/14/2/2		0.101	S Dutta Majumdar
144.	14/2/1/4/14/2/2		0.101	Mayank Trivedi
145.	14/2/1/5/14/2/2		0.101	Shailesh Kumar Pathak
146.	14/2/1/6/14/2/2		0.089	Radhoji Gupta
147.	14/2/1/7/14/2/2		0.101	Dr.Sunil Mullik
148.	14/3/1/ka/000/1		0.304	Kiran Agrawal
149.	14/3/1/k/000/2		0.081	Captain Vikas pandey
150.	14/3/1/k/000/3		0.012	Radhe ji gupta
151.	14/3/1/kha		0.101	Ballavi Sharma
152.	14/3/1/g		0.101	Monika Sharma
153.	14/3/2/k		0.101	Kiran Agrawal
154.	14/3/2/kha		0.101	Vinit Singhal
155.	14/4		0.809	Vijay Ramani
156.	14/5/1/1/14/5/2		0.828	Vinod Sharma & others
157.	14/5/1/2/14/5/2		0.202	Laxmi Sharma
	15			
158.	15/1		0.008	Dinanath s/o Mola Singh
159.	15/2		0.498	Pradeep Kumar Singh
160.	15/3		0.498	Arun Kumar Singh
161.	15/4		0.497	Ramlochan Singh
	11			
162.	11/1		0.161	M/s Genvel Agent Pvt. Ltd
163.	11/2		0.247	Dr S.K Sahagal & others

1.	2.	3.	4.	5.
164.	11/3/1		0.016	Kriti Gupta
165.	11/3/2		0.121	Chavi rai Goswami & others
166.	11/4		0.121	Shushila Sharma
167.	11/5		0.121	Seema Jain
168.	11/6		0.113	Bharti D/o Ram naresh
169.	11/7		0.109	Meena Saxena
170.	11/8		0.093	Sukhvantvosh
171.	11/9		0.093	Sucheta Shrivastav & others
172.	11/10		0.093	Sucheta Shrivastav & others
173.	11/11		0.093	Arvind Khare
174.	11/12		0.093	Kamlesh Kumar
175.	11/13		0.093	Rajandev
176.	11/14		0.093	Papaiyadas
177.	11/15		0.093	Sushma Tyagi
178.	11/16/1		0.0465	Deepak Dheriya
179.	11/16/2		0.0465	Neena Pawar
180.	11/17		0.093	Anjula Gutru & others
181.	11/18		0.093	Vijay Laxmi Tripathi
182.	11/19		0.093	Ranjan Kumar Sarkar
183.	11/20		0.093	Mashers Trupati Interprises
184.	11/21		0.093	Achak Meheta
185.	11/22		0.097	R.F Pawar
186.	11/23		0.137	Dilip kumar
187.	11/24/1		0.044	Ramesh Kumar Lohati
188.	11/24/2		0.044	Jatindra pal Singh
189.	11/24/3		0.044	Ramesh Chandra Maheshwari & others
190.	11/25		0.125	Sandhya Sabu
191.	11/26		0.121	Sandhya Sabu
192.	11/27		0.153	Parasnath Tripathi
193.	11/28/ka		0.017	Bhartiya Parwani
194.	11/28/kha		0.074	Sanjeev Kumar Singh
195.	11/28/ga		0.074	Rajnish Kumar Singh
196.	11/29/k		0.129	M/s Trupati enterprises
197.	11/29/kh		0.109	M/s Trupati enterprises
198.	11/29/ga		0.121	Namisha Singh

1.	2.	3.	4.	5.
199.	12/1		0.101	Sandhya Garg
200.	12/2/1/000/1		2.684	M/s Trupati enterprises
201.	12/2/1/1/0002		0.109	Rashmi Shukla
202.	12/2/ka/2		0.093	Dr. Amita Singh
203.	12/2/ka/3		0.113	Suruchi Jhariya
204.	12/2/ka/4		0.093	Akshat Pawar & others
205.	12/2/ka/5		0.093	Dinesh Malhotra
206.	12/2/ka/6		0.093	Rajesh Malhotra
207.	12/2/kha		0.138	Vinod Kumar
208.	12/2/ga		0.093	Vijay Shankar verma
209.	12/2/gha		0.013	Simran Tulsani
210.	12/2/da		0.093	Simran Tulsani
211.	12/2/cha		0.164	Sangeeta Sharma & others
212.	12/2/chha		0.164	Bharti Parvani
213.	12/2/ja		0.093	Ravi Liganche
214.	12/2/jha		0.093	Ranjana Goyal
215.	12/2/gya		0.093	Probeer chandra sen
216.	12/2/ta		0.125	Mona Dixit
217.	12/4		0.093	Surendra gothiya & others
218.	12/5		0.093	Yogendra Kumar Saini
219.	12/6		0.093	Devendra Kumar Saini
220.	12/8		0.093	Shivdutt Shukla
221.	12/10		0.093	Amarjeet Singh
222.	12/11		0.093	Taranjeet
223.	12/16		0.093	Kusum Tiwari
224.	12/20		0.093	Vinit Ajmani
225.	12/22		0.093	Vijay Shankar Verma
226.	12/23		0.113	Anju Shrivastav
227.	12/25		0.108	Veena Pathak
228.	12/26		0.113	Mahesh Kumar Agalmaheshwari
229.	12/34		0.093	Probeer chandra sen
	10			
230.	10/1		1.731	Rajendra Kumar sen

1.	2.	3.	4.	5.
231.	10/2/1		0.141	M/s Sidhi Vinayak Enterprises
232.	10/2/2		0.101	Virendra Mishra
233.	10/2/3		0.202	M/s Sidhi Vinayak Enterprises
234.	10/2/4		0.111	Ratanchandra Chodhah
235.	10/2/5		0.037	S.R Gupta
236.	10/2/cha		0.116	Smt. Rajmadhur
237.	10/2/chha		0.052	Manju Vairavat
238.	10/2/ja		0.2	Sunil Joshi
239.	10/2/jha		0.245	Rakhi Joshi
240.	10/3/ka/1		0.148	Sanjay Kariwal
241.	10/3/ka/2		0.116	Om Prakash Kariwal
242.	10/3/ka/3		0.116	Sitaram Gupta
243.	10/3/kha		0.074	S.R Gupta
244.	10/3/ga		0.064	Manju Bairavat
245.	1		1.307	Nalla
246.	2	34.665		M.P C.P.A
247.	3		0.393	Nalla
248.	4		2.016	M.P C.P.A
249.	5		0.032	Village Road
<b>Total</b>		<b>100.95</b>	<b>93.595</b>	<b>194.545</b>

नोट:- उपरोक्त सभी खसरां के अतिरिक्त यदि योजना की चौहद्दी की सीमा के अन्दर का कोई खसरा/बटान नहीं लिखा है तो वह खसरा/रकवा भी योजना का भाग होगा.

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

#### ग्राम-गोरा

S.No.	Khasra Number	Area In Hactare Govt.	Area In Hactare Private	Owner
1.	2.	3.	4.	5.
1.	18	1.713		M.P.P.H.E (Plantation)
2.	19	3.549		M.P.P.H.E (Plantation)
3.	20	3.257		M.P.P.H.E (Plantation)
	21			M.P.P.H.E (Plantation)
4.	21/1/1	0.989		M.P.P.H.E (Plantation)
5.	21/1/2/1		0.421	Karan Singh
6.	21/1/2/2		0.829	Narendra kumar
7.	21/1/2/3		0.405	Karan Singh

1.	2.	3.	4.	5.
8.	21/1/2/4		0.829	Lala Ram
9.	21/1/2/5		0.829	Har Prasad
10.	21/2/1	0.989		M.P.P.H.E (Plantation)
11.	21/2/2/1		0.202	Yashoda Tilwani
12.	21/2/2/2		2.173	Yashoda Tilwani
13.	21/2/2/3		0.202	Yashoda Tilwani
14.	21/2/2/4		0.202	Yashoda Tilwani
	22			
15.	22/1/1		1.68	shree banktesh trading company
16.	22/1/2/1		0.174	H.S chawla
17.	22/1/2/2		0.174	A.N Singh
18.	22/1/2/3		0.178	Lal Harnath Singh
19.	22/1/2/4		0.178	Smt Sadhana Dubey
20.	22/2	0.971		C.P.A (Plantation )
	34			
21.	34/1/1		0.137	Dr.S Banerjee
22.	34/1/2		0.165	Dr.Atul Kumar
23.	34/1/3		0.154	K Laxmi Reddy
24.	34/1/4		0.154	Vidhu Rakesh
25.	34/1/5		0.154	Sadhna Bhatnagar
26.	34/1/6		0.154	Sangeeta Shukla
27.	34/1/7		0.154	Gyatri Devi
28.	34/1/8		0.154	Kailash Prasad
29.	34/2	0.971		M.P.P.H.E (Plantation)
	35			
30.	35/1		0.036	Sudhir Kumar
31.	35/2		0.154	Smt Sudha Shrivastav
32.	35/3		0.016	Dr Yash Bannerjee
33.	35/4		0.154	Smt Sayukta Shrivastav
34.	35/5		0.154	P.K choudary
	36			
35.	36/1/1		0.036	Smt Anita Tomar
36.	36/1/2		0.207	Santosh Singh
37.	36/2		0.081	Dharmo Sondhiya
38.	37	0.028		karbrasthan
	38			
39.	38/1		0.316	Smt Anita tomar
40.	38/2		0.073	Smt Anita tomar

1.	2.	3.	4.	5.
41.	39 40	0.146		M.p.Govt. Devsthan
41.	40/1		0.507	D.L.M Enclave
42.	40/2		0.046	Smt Manju Sinha
43.	40/3 42		0.046	Smt Prathibha Ratna
44.	41/1 42,44		0.705	Smt Varsha Agrawal
45.	41/2/1 ,42,44		1.713	Smt Tara Devi
46.	41/2/2,42,44		0.31	Ajay Kumar Sharma
47.	41/3/1 42,44		1.555	Kailash Vinod
48.	41/3/1/2/0001,42,44		0.405	M/s Western coloniser
49.	41/3/1/2/0002,42,44		0.405	M/s Western coloniser
50.	41/3/1/3,42,44		0.04	Ranprasad Nandlal
51.	41/3/2,42,44 43		0.405 0.255	Mahesh Singrole Yashi corprative Grah nirman
52.	45, 46, 47			
53.	45/1/1,46,47		0.809	Anuja Khare
54.	45/1/2/1,46,47		0.211	Jamana Prasad
55.	45/1/2/2,46,47		0.129	Yashi Coperative
56.	45/1/3,46,47	1.517		M.P.P.H.E Plantation
57.	48 49	0.615		M.P.P.H.E Plantation Yashoda Tilwani
58.	50,54			
59.	50/1/1,54		0.405	Yashoda Tilwani
60.	50/1/2,54		0.405	Yashoda Tilwani
61.	50/1/3,54		0.405	Yashoda Tilwani
62.	50/1/4,54		0.26	Yashoda Tilwani
63.	50/2,54		1.476	Vimla Hajela
64.	51	1.764		M.P.P.H.E Plantation
65.	52	0.061		M.P.P.H.E Plantation
66.	53 55	0.287		MP Charokhar
67.	55/1		0.299	Umrao Singh
68.	55/2		2.003	Amitab Choudary
69.	56/1,281/56		1.692	Rukmani
70.	56/2,281/56		1.688	Ravindra Kumar
71.	56/3,281/56		1.688	Shiv Mohan
72.	56/4,281/56		1.692	Sheela Gupta

1.	2.	3.	4.	5.
73.	58		0.486	M.P Govt (Rasta)
74.	59		0.121	(Goha)
	60			
75.	60/1		0.203	Hikmat Ullah
76.	60/2		0.101	Mahesh Patidar
77.	61/1/1,62		0.102	Patiram
78.	61/1/2,62		0.031	Ranjan kumar Shrivastav & Others
79.	61/2,62		0.133	Karan Singh
80.	61/3/1,62		0.102	Lalaram
81.	61/3/2,62		0.032	Ranjan kumar Shrivastav & Others
82.	61/4/1,62		0.103	Har prasad
83.	61/4/2,62		0.032	Ranjan kumar Shrivastav & Others
84.	63/1		0.1415	Rajal Bai &Others
85.	63/2		0.1415	Kripa Ram
86.	64/1		0.087	Noorun nisa
87.	64/2		0.049	Shakir Khan
88.	64/3		0.087	Tahir hassan
89.	65		0.219	Harcharan Kaur
	66	0.105		M.P.Govt. Charokhar Nistar
90.	66/1/1		0.024	Achal Singh
91.	66/1/2		0.024	Ram lal
92.	66/1/3		0.024	Ram Gopal
93.	66/1/4		0.024	Kamala Maran
94.	66/1/5		0.024	Battanlal
95.	66/1/6		0.024	Ram Kalibai
96.	66/1/7		0.02	Pritam singh
97.	66/2		0.162	Tulibai
98.	67			
99.	67/1		0.065	Smt Anita Tomar
100.	67/2		0.036	Smt Anita Tomar
	68			
101.	68/1		0.154	Smt. Surabhi Choudhary
102.	68/2		0.117	Sudhir Kumar
103.	69	0.105		M.P. Govt. Charokhar
	70			
104.	70/1		0.02	Mubarak Hasan
105.	70/2		0.097	Pratibha Sharma
106.	71		0.162	Pratibha Sharma

1.	2.	3.	4.	5.
107.	72		0.101	Rabbu Daulat Singh
108.	73		0.04	Bhaiya lal
109.	74		0.174	Jagdish
110.	75	1.74		M.P. Govt. Aabadi
	76			
113.	76/1		0.028	Basanti Bai
114.	76/2		0.029	Gopi Lal
115.	76/3		0.028	Narmada Prasad
116.	76/4		0.028	Sumer Singh
	77			
117.	77/1/1		0.024	Ram Charan
118.	77/1/2		0.024	Vanshi Lal
119.	77/1/3		0.024	Smt. Manu Bai
120.	77/1/4		0.029	Mangi Lal
121.	77/2/1		0.178	Mumtaz Ahemad
122.	77/2/2		0.174	Afzal Ahmed
123.	78		0.308	Vanshi Lal
124.	79		0.34	Jagan nath
	80			
125.	80/1		0.312	syed Afjal Ahemed
126.	80/2		0.212	Vikas Sultan
127.	81		0.15	Umrao Singh
128.	82		0.465	Dhanvanti Kukreja
129.	83		0.267	Dhanvanti Kukreja
	84			
130.	84/1		0.223	Smt Anjumand Tahir
131.	84/2		0.02	Rajesh Kumar Gurjar
132.	85		0.162	Mupuniya bai
133.	86		0.049	Mubarak Hasan
134.	87		0.097	Chankishor Tejpal
	88			
135.	88/1		0.093	Ajay Singh Karki
136.	88/2		0.093	Hari Singh
	89		0.093	Umrao Singh
137.	90		0.04	Choteram
	91			
138.	91/1		0.202	Anoop Tanwani
139.	91/2		0.073	Kamal Singh



1.	2.	3.	4.	5.
140.	92		0.073	Jagdishshomat
141.	93		0.032	M.P Govt Nazul
142.	94		0.409	Anoop Tanwani
143.	95		0.304	Umrao Singh
144.	96		0.938	M.P Govt.
145.	97		0.053	M.P Govt.Rasta
146.	98		0.231	M.P Govt. Nazul
147.	99		0.073	M.P Govt. Rasta
148.	100		0.061	M.P Govt. Nazul
149.	101		0.04	M.P Govt. Rasta
150.	102		0.069	Ghamandi lal
	103			
151.	103/1		0.146	Kiran Chouhan
152.	103/2		0.04	Rabbu Daulat Singh
	104			
153.	104/1		0.049	Kiran Chouhan
154.	104/2		0.175	Priti Agrawal
155.	104/3		0.169	Priti Agrawal
156.	105	0.417		M.P.P.H.E
157.	106		0.125	Kiran Chouhan
158.	107	1.311		M.P.P.H.E Plantation
	108			
159.	108/1	1.279		M.P.P.H.E Plantation
160.	108/2	1.275		M.P.P.H.E Plantation
161.	109	1.04		M.P.P.H.E Plantation
162.	110	1.57		M.P.P.H.E Plantation
163.	111	0.729		M.P.P.H.E Plantation
164.	112	0.728		M.P.P.H.E Plantation
165.	113	0.668		M.P.P.H.E Plantation
166.	114,273/12	4.318		M.P.P.H.E Plantation
167.	115	4.747		M.P.P.H.E Plantation
168.	116	1.323		M.P.P.H.E Plantation
169.	117	0.66		M.P.P.H.E Plantation
170.	118		1.052	M.P GOVT-- Nalla
171.	119,265/118/1	3.189		M.P.P.H.E Plantation
	120			
172.	120/1/1		0.072	Sangeeta Yadav
173.	120/1/2		0.073	Sangeeta Yadav

1.	2.	3.	4.	5.
174.	120/2	1.356		C.P.A Plantation
175.	121		0.069	Aruna Rao
176.	122	0.409		M.P.P.H.E Plantation
177.	123	0.263		M.P.P.H.E Plantation
178.	124	0.174		M.P.P.H.E Plantation
179.	125	0.312		M.P.P.H.E Plantation
180.	126			
181.	126/1	0.886		C.P.A Plantation
182.	126/2		0.02	Adiraj Grah Nirman
183.	127,128	0.154		M.P.P.H.E Plantation
184.	129	0.049		C.P.A Plantation
185.	130	0.077		M.P GOVT
	131			
186.	131/1		0.012	Kamta Prasad
187.	131/2	0.251		M.P.P.H.E Plantation
188.	132	0.259		M.P.P.H.E Plantation
189.	133	0.34		M.P.P.H.E Plantation
190.	134	0.307		M.P.P.H.E Plantation
191.	135	0.692		M.P .Govt. Sham shan Bhoomi
192.	136		0.024	M.P GOVT. Rasta
	137			
193.	137/1	3.958		M.P Govt Prathmik Shala
194.	137/2		0.486	Sukhram bhurelal
195.	265/118/2	0.109		M.P.P.H.E Plantation
196.	272/75		0.049	Dropti bai
197.	274/12	1.457		M.P.P.H.E Plantation
198.	267/12	0.243		M.P.P.H.E Plantation
199.	270/74		0.53	
200.	270/74/2		0.032	Kamta Prasad
201.	271/74		0.045	
202.	271/74/2		0.032	Kamta Prasad
203.	264/8	0.231		M.P.P.H.E Plantation
204.	268/6	0.874		M.P.P.H.E Plantation
205.	269/58		0.081	M.P.Govt.Nazul
<b>Total</b>		<b>54.462</b>	<b>36.806</b>	<b>91.268</b>

नोट:- उपरोक्त सभी खसरो के अतिरिक्त यदि योजना की चौहद्दी की सीमा के अन्दर का कोई खसरा/बटान नहीं लिखा है तो वह खसरा/रकवा भी योजना का भाग होगा.

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.

## प्रारूप –सोलह

## (नियम 19(2) देखिए)

[धारा-50 की उपधारा(1) के अधीन नगर विकास स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

क्रमांक 931/मुकाअ/कार्य-7/ भोविप्रा/2020दिनांक 30/09/2020.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा(1) के अधीन एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भोपाल विकास प्राधिकरण नगर विकास स्कीम क्रमांक 207/2020 अर्थात् ग्राम भैरोपुर (होशंगाबाद रोड) में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का आशय रखता है:-

योजना की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:-

उत्तर दिशा में : ग्राम भैरोपुर की भूमि खसरा क्रमांक 301, 332, 334, 335, 336

दक्षिण दिशा में : भोजपुर रोड एवं ग्राम भैरोपुर की भूमि खसरा क्रमांक 547, 548, 528, 526, 503, 504, 499, 499/557, 498, 497.

पूर्व दिशा में : ग्राम भैरोपुर की भूमि खसरा क्रमांक 336, 334, 333, 328, 319, 437, 455, 456, 517, 518, 519, 521, 529, 546.

पश्चिम दिशा में : भोपाल होशंगाबाद मार्ग एवं ग्राम भैरोपुर खसरा क्रमांक 496, 494, 493, 475, 471, 468, 448, 446, 310, 311, 307, 306, 305, 304, 303, 302.

योजना में शामिल खसरों का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No	Tehsil Name	Village Name	Khasra No	Area (Hect.)		Name of the owner
				Govt. Land	Private Land	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kolar	Bheropur	301/2		0.110	PrakharShriji Naba S/o Rameshwar Prasad
2.	Kolar	Bheropur	311/4		0.340	PrakharShriji Naba S/o Rameshwar Prasad
3.	Kolar	Bheropur	301/3		0.900	M/s PragyaSajal
4.	Kolar	Bheropur	302/2		0.100	M/s PragyaSajal
5.	Kolar	Bheropur	303		0.100	M/s PragyaSajal
6.	Kolar	Bheropur	311/3		0.420	M/s PragyaSajal
7.	Kolar	Bheropur	302/1		0.170	Premnarayan S/o Kamal Singh
8.	Kolar	Bheropur	304/1/1		0.030	Gyan Singh Bane Singh S/o Ghishilal
9.	Kolar	Bheropur	304/1/2/1		0.061	Bane Singh S/o Ghishilal
10.	Kolar	Bheropur	304/1/2/2		0.023	Devendra Kumar Patsariya S/o Makundi Lal Patsariya
11.	Kolar	Bheropur	304/2		0.056	Smt. Randevi W/o Rameshwar Prasad
12.	Kolar	Bheropur	305		0.140	Virendra Singh Surendra Singh S/o Nirbhay Singh
13.	Kolar	Bheropur	306		0.120	Smt. Roopkumari W/o Ramesh kumarRighariya
14.	Kolar	Bheropur	307/1		0.150	Prakhar Shriji Naba S/o Rameshwar Prasad
15.	Kolar	Bheropur	307/2		0.250	Prakhar Shriji Naba S/o Rameshwar Prasad
16.	Kolar	Bheropur	308		0.150	Ajay Vidyotiya S/o OpoVidyotiya
17.	Kolar	Bheropur	309	0.09		Govt. 0.0900 rasta
18.	Kolar	Bheropur	310/1		0.100	Sitaram S/o Prabhu Singh
19.	Kolar	Bheropur	310/2		0.660	Avtar Singh S/o PremnarayanDangi

1	2	3	4	5	6	7
20.	Kolar	Bheropur	311/1		0.090	Sitaram S/o Prabhu Singh
21.	Kolar	Bheropur	311/2		0.450	Master Prakhardevi Naba S/o Rameshwar Prasad
22.	Kolar	Bheropur	311/3		0.420	M/s PragmaSajal
23.	Kolar	Bheropur	311/4		0.340	PrakharShrijiNaba S/o Rameshwar Prasad
24.	Kolar	Bheropur	312		0.220	Ashok Agarwal S/o Ramnarayan Agarwal
25.	Kolar	Bheropur	313		0.060	Ashok Agarwal S/o Ramnarayan Agarwal
26.	Kolar	Bheropur	314/1		0.220	Premnarayan S/o Prabhu Singh
27.	Kolar	Bheropur	315		0.040	Ashok Agarwal S/o Ramnarayan Agarwal
28.	Kolar	Bheropur	314/3		0.290	Ashok Agarwal S/o Ramnarayan Agarwal
29.	Kolar	Bheropur	314/2		0.540	Anil Upadhyay S/o RamnarayanUpadhyay
30.	Kolar	Bheropur	316/1		0.060	Prem Narayan S/o Prabhu Singh
31.	Kolar	Bheropur	316/2		0.060	Anil Agarwal S/o Ramnarayan Agarwal
32.	Kolar	Bheropur	317		1.400	Smt. Mishribai W/o Premnarayan
33.	Kolar	Bheropur	318	0.16		Govt. NA
34.	Kolar	Bheropur	319	1.04		Govt. NA
35.	Kolar	Bheropur	319/2		0.100	ChaitanyaShikshaSamiti Bhopal
36.	Kolar	Bheropur	328		2.170	Ramesh Kumar Richariya S/o V.K. Richariya
37.	Kolar	Bheropur	329/1		0.140	Vimalchandra Jain S/o Nathuram Jain
38.	Kolar	Bheropur	329/2		0.100	Manju Mishra Sunil Kumar Mishra
39.	Kolar	Bheropur	329/3		0.150	Radha Homes Pvt. Ltd.
40.	Kolar	Bheropur	329/4		0.110	Sheela Rasika S/o Gangadhar Bhoot
41.	Kolar	Bheropur	330		0.400	Ku. Nehanupur Ku. Jaoyanupur S/o Raghunath Manjhi
42.	Kolar	Bheropur	331		0.150	Ashotosh Sharma S/o Jagdish Prasad Sharma
43.	Kolar	Bheropur	332		2.430	Kamarji S/o Bhanwarji
44.	Kolar	Bheropur	333/1		0.040	Sheela Rasika S/o GangadharBhoot
45.	Kolar	Bheropur	333/2		0.100	Dhiraj Gopal Nigam S/o Late Santosh Kumar Nigam
46.	Kolar	Bheropur	333/3		0.150	Pawan Kumar Chouhan S/o Gokalprasadji
47.	Kolar	Bheropur	334		0.860	Kamarji S/o Bhanwarji
48.	Kolar	Bheropur	333/4/1/d		0.050	Radha Homes Pvt. Ltd.
49.	Kolar	Bheropur	333/4/1/[k	0.11		Govt. NA
50.	Kolar	Bheropur	333/4/2	0.2		Govt. NA
51.	Kolar	Bheropur	335	0.67		Govt. Rasta 0.6700
52.	Kolar	Bheropur	336	2		Govt. Marghat 2.0000
53.	Kolar	Bheropur	437		0.120	SadhnaKhare W/o HemantKhare

1	2	3	4	5	6	7
54.	Kolar	Bheropur	438		0.100	Manju W/o P.K. Shrivastava
55.	Kolar	Bheropur	439		0.100	Shri K.M. Pateriya S/o GourishankarPateriya
56.	Kolar	Bheropur	440		0.110	Smt. Sarla Sharma W/o Santosh Sharma
57.	Kolar	Bheropur	441		0.100	Smt. SushmaRathi W/o D.P. Rathi
58.	Kolar	Bheropur	442		0.100	Prafful Kumar S/o R.S. Kapoor
59.	Kolar	Bheropur	443		0.150	Anil Kumar S/o Rameshchandra Gupta
60.	Kolar	Bheropur	444/1		0.120	JagdishBhushan S/o Bharat Bhushan
61.	Kolar	Bheropur	444/2		0.100	Pradeep Naga S/o B.L. Naga
62.	Kolar	Bheropur	445		0.050	VisanAsnani S/o H. Asnani
63.	Kolar	Bheropur	446/1		0.060	Smt. DhanwantiKukreja W/o Jhamat Singh Kukreja
64.	Kolar	Bheropur	446/2		0.410	Smt. DhanwantiKukreja W/o Jhamat Singh Kukreja
65.	Kolar	Bheropur	447		0.100	Chanchal Jain W/o Prakash Chand Jain
66.	Kolar	Bheropur	448/1		0.397	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
67.	Kolar	Bheropur	448/2		0.033	Tiwari Real State Pvt. Ltd.
68.	Kolar	Bheropur	449		0.050	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
69.	Kolar	Bheropur	450		0.280	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
70.	Kolar	Bheropur	451		0.050	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
71.	Kolar	Bheropur	452		0.070	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
72.	Kolar	Bheropur	453		0.030	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
73.	Kolar	Bheropur	454		1.500	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
74.	Kolar	Bheropur	455/1		0.120	JagdishBhushan S/o Bharat Bhushan
75.	Kolar	Bheropur	455/2		0.150	Alok Kumar Satsangi S/o S.D. Nigam
76.	Kolar	Bheropur	455/2		0.150	Alok Kumar Satsangi S/o S.D. Nigam
77.	Kolar	Bheropur	455/3		0.100	Prafful Kumar S/o R.S. Kapoor
78.	Kolar	Bheropur	455/4/1		0.060	Kaniram S/o KaluramSalikram
79.	Kolar	Bheropur	455/4/2		0.100	R.A. Khanna S/o J.A. Khanna
80.	Kolar	Bheropur	456		0.140	Pankaj Gupta S/o V.P. Gupta
81.	Kolar	Bheropur	457/1		0.048	Saligram S/o SitaramPatidar
82.	Kolar	Bheropur	457/2		0.052	Himanshu Kumar Mehto S/o N.K. Mehto
83.	Kolar	Bheropur	458		0.100	Ramswaroop S/o SitaramPatidar
84.	Kolar	Bheropur	459		0.100	DayaldasPremchandani S/o ParasramJi
85.	Kolar	Bheropur	460		0.100	Smt. SeemaBeniShyamvijayvargiya W/o Neeraj Vijayvargiya
86.	Kolar	Bheropur	461		0.200	Salaiha W/o Hakim Uddin

1	2	3	4	5	6	7
87.	Kolar	Bheropur	462		0.100	Dr. Jyotsna W/o Anil Barvey
88.	Kolar	Bheropur	463		0.200	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
89.	Kolar	Bheropur	464		0.380	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
90.	Kolar	Bheropur	465		0.070	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
91.	Kolar	Bheropur	465		0.070	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
92.	Kolar	Bheropur	466		0.390	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
93.	Kolar	Bheropur	467		0.030	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
94.	Kolar	Bheropur	468		0.190	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
95.	Kolar	Bheropur	469		0.100	AmbikaGrihNirman She. SamitiMarya.
96.	Kolar	Bheropur	470		0.040	KishorPatidar S/o Jagannath
97.	Kolar	Bheropur	471		0.190	KishorPatidar S/o Jagannath
98.	Kolar	Bheropur	472		0.070	Shyamlal S/o Harlal
99.	Kolar	Bheropur	473		0.790	Shyamlal S/o Harlal
100.	Kolar	Bheropur	474		0.110	Nipun Gupta S/o M.K. Gupta
101.	Kolar	Bheropur	475		0.110	Manish Chaddha S/o Satish Kumar
102.	Kolar	Bheropur	476		0.100	Sumita S/o Ramnaryaan
103.	Kolar	Bheropur	477		0.100	Surendra Singh S/o Avinash Singh
104.	Kolar	Bheropur	478		0.110	K. FarhatNasim Siddiqui S/o Mohd. Nasim Siddiqui
105.	Kolar	Bheropur	479		0.100	Anjana W/o Anil Kumar Khandelwal
106.	Kolar	Bheropur	480		0.110	AnjuDubey W/o Rajesh Dubey
107.	Kolar	Bheropur	481		0.100	Jagat Singh S/o Kripal Singh
108.	Kolar	Bheropur	482		0.100	VasudhaBhatiya W/o B.K. Bhatiya
109.	Kolar	Bheropur	483		0.110	Shanti Raghuvanshi W/o Narendra Singh
110.	Kolar	Bheropur	484		0.110	Smt. SushilaMalviya W/o VishveshkantMalviya
111.	Kolar	Bheropur	485/1		0.055	Smt. NidhiKulshreshtha W/o Ramprakash Kulshreshtha
112.	Kolar	Bheropur	485/2		0.055	Smt. Jyoti Agarwal W/o Dinesh Chand Agarwal
113.	Kolar	Bheropur	486		0.110	ChandrakalaMaheshwari W/o Sureshchandra Maheshwari
114.	Kolar	Bheropur	486		0.110	ChandrakalaMaheshwari W/o Sureshchandra Maheshwari
115.	Kolar	Bheropur	486		0.110	ChandrakalaMaheshwari W/o Sureshchandra Maheshwari
116.	Kolar	Bheropur	487		0.110	Anil Maheshwari S/o SureshchandraMaheshwari
117.	Kolar	Bheropur	488		0.110	Durgesh Sharma W/o M.C. Sharma
118.	Kolar	Bheropur	489		0.110	Sunil Kumar S/o T.C. Jain
119.	Kolar	Bheropur	490/1		0.150	Hardev Singh S/o SardarAvinash Singh

1	2	3	4	5	6	7
120	Kolar	Bheropur	490/2		0.100	Smt. SaritaChaturvedi W/o M.P. Chaturvedi
121.	Kolar	Bheropur	491/1		0.200	Ravindra Agarwal S/o K.L. Agarwal
122.	Kolar	Bheropur	491/2		0.100	Hardev Singh S/o SardarAvinash Singh
123.	Kolar	Bheropur	492		0.100	Ravindra Singh S/o Revti Singh
124.	Kolar	Bheropur	493/1		0.240	Surendra Singh S/o Avinash Singh
125.	Kolar	Bheropur	493/2		0.100	Smt. ChanchalJian W/o Prakashchand Jain
126.	Kolar	Bheropur	493/4		0.100	Satish Bhandari S/o Santosh Bhandari
127.	Kolar	Bheropur	494/1		0.180	Prabhat Patel S/o Prem Singh Patel
128.	Kolar	Bheropur	494/2		0.500	Prem Singh Patel S/o Biharilal Patel
129.	Kolar	Bheropur	494/3/1		0.065	Sunderdas S/o PinjomalGopichand S/o Sunderdas
130.	Kolar	Bheropur	494/3/2		0.065	Shailendra Patel S/o Prem Singh Patel
131.	Kolar	Bheropur	495		0.020	Narendra Kumar S/o Gulab Chand Jain
132.	Kolar	Bheropur	495		0.020	Narendra Kumar S/o Gulab Chand Jain
133.	Kolar	Bheropur	496/1		0.018	Lalaram S/o UttamchandVishwakarma
134.	Kolar	Bheropur	496/2		0.021	Barelal S/o UttamchandVishwakarma
135.	Kolar	Bheropur	496/3		0.021	Karan Singh S/o Shyam Singh Parmar
136.	Kolar	Bheropur	497		0.340	Shri SaiGramoutthanSamiti
137.	Kolar	Bheropur	498		0.400	K.K. Tiwari S/o K.P. Tiwari
138.	Kolar	Bheropur	499		0.400	K.K. Tiwari S/o K.P. Tiwari
139.	Kolar	Bheropur	503		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
140.	Kolar	Bheropur	507		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
141.	Kolar	Bheropur	509		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
142.	Kolar	Bheropur	508		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
143.	Kolar	Bheropur	510		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
144.	Kolar	Bheropur	511		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
145.	Kolar	Bheropur	512		0.170	Dhiraj S/o Ramesh Kumar Raichandani
146.	Kolar	Bheropur	504		0.170	Kuldeep Arora S/o Sunil Kumar Arora
147.	Kolar	Bheropur	505		0.090	Gurcharan Singh S/o Mohan Singh
148.	Kolar	Bheropur	506		0.090	J.S. Dua S/o Y.S. Dua
149.	Kolar	Bheropur	513	0.06		Govt. NA
150.	Kolar	Bheropur	517		0.150	Ramesh Kumar Richariya S/o P.K. Richariya
151.	Kolar	Bheropur	519/1		0.060	Indra Kumar Jodhani S/o Bhagwandas
152.	Kolar	Bheropur	518/1		0.740	Indra Kumar Jodhani S/o Bhagwandas
153.	Kolar	Bheropur	519/1		0.060	Indra Kumar Jodhani S/o Bhagwandas
154.	Kolar	Bheropur	519/2		0.210	Smt. Naima Hussain W/o Riyaz Hussain
155.	Kolar	Bheropur	520		0.110	PremnarayanBhagirath Babulal Jagdish S/o Kuwar Ji Harkubai.

1	2	3	4	5	6	7
156.	Kolar	Bheropur	521/1		0.270	PremnarayanBhagirathBabulalJagdish S/o Kuwar Ji Harkubai
157.	Kolar	Bheropur	521/2		0.180	Prabhat Patel S/o Prem Singh Patel
158.	Kolar	Bheropur	521/3		0.180	Smt. Nirmala Patel W/o Prem Singh Patel
159.	Kolar	Bheropur	522/2		0.070	Preeti W/o Bharatbhushan
160.	Kolar	Bheropur	523/1		0.080	Ramesh Kumar Richariya S/o P.K. Richariya
161.	Kolar	Bheropur	523/2		0.080	Preeti W/o Bharatbhushan
162.	Kolar	Bheropur	524/1		0.080	Ramesh Kumar Richariya W/o P.K. Richariya
163.	Kolar	Bheropur	524/2		0.080	PramilaUrfManisha W/o Praveen Kumar
164.	Kolar	Bheropur	525/2		0.070	PramilaUrfManisha W/o Praveen Kumar
165.	Kolar	Bheropur	525/1		0.070	Ramesh Kumar Richariya W/o P.K. Richariya
166.	Kolar	Bheropur	526/2		0.080	NirmalaBai W/o Prem Singh
167.	Kolar	Bheropur	526/1		0.070	Ramesh Kumar Richariya S/o P.K. Richariya
168.	Kolar	Bheropur	527/1		0.080	Ramesh Kumar Richariya S/o P.K. Richariya
169.	Kolar	Bheropur	527/2		0.800	NirmalaBai W/o Prem Singh
170.	Kolar	Bheropur	528		0.460	Premnarayan Bhagirath Babulal Jagdish S/o Kuwar Ji Harkubai
171.	Kolar	Bheropur	529/1		0.650	Laxminarayan S/o Munshilal
172.	Kolar	Bheropur	529/2		0.520	Geeta Devi Patiddar W/o JeetmalPatidar
173.	Kolar	Bheropur	546		0.140	DarshankumarPrateep Kumar S/o M.R. Verma
174.	Kolar	Bheropur	547		0.140	Darshankumar Pradeep Kumar S/o M.R. Verma
175.	Kolar	Bheropur	548		0.140	Pranay Kumar Pathak S/o Raghunandan Prasad Pathak
176.	Kolar	Bheropur	553/554		0.100	Smt. Deepti Sharma W/o J.P. Sharma
177.	Kolar	Bheropur	554/455		0.130	MadhuriNayak W/o B.M. Nayak
178.	Kolar	Bheropur	556/454		0.070	Kaniram S/o KaluramSalikram
179.	Kolar	Bheropur	557/499		0.810	Smt. Manjula Tiwari W/o K.K. Tiwari
<b>Total</b>				<b>4.33</b>	<b>34.804</b>	
<b>Gross Total</b>					<b>39.136</b>	

नोट:- उपरोक्त सभी खसराओं के अतिरिक्त यदि योजना की चौहद्दी की सीमा के अन्दर का कोई खसरा/बटान नहीं लिखा है तो वह खसरा/रकबा भी योजना का भाग होगा.

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किए बिना, नहीं करेगा.



**अन्य सूचनाएं****नाम परिवर्तन**

मैं, सक्षम नीखरा पुत्र श्री मनोज नीखरा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम अमन नीखरा था. जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201240311 में लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट इत्यादि में मेरा नाम सक्षम नीखरा अंकित है एवं भविष्य में भी मैं सक्षम नीखरा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. अमन नीखरा एवं सक्षम नीखरा मेरे ही नाम है, अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 201240311 में मेरा सही नाम सक्षम नीखरा पुत्र श्री मनोज नीखरा लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(अमन नीखरा)

(417-बी.)

नया नाम :

(सक्षम नीखरा)

पुत्र-श्री मनोज नीखरा,  
पता-सुभाष गंज, थाने के सामने,  
डबरा, ग्वालियर.**नाम परिवर्तन**

मैं, नितिन राज पिता स्व. श्री डालचंद अहिरवाल यह कथन करता हूँ कि मेरा घर का नाम नितिन कुमार अहिरवाल था. जबकि मेरे स्कूल एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नितिन राज उल्लेखित है. मैं अपना घर का नाम नितिन कुमार अहिरवाल विलोपित करना चाहता हूँ. मैं केवल अपना नितिन राज पिता स्व. श्री डालचंद अहिरवाल के नाम से उल्लेखित करवाना चाहता हूँ.

पुराना नाम :

(नितिन कुमार अहिरवाल)

पिता-स्व. श्री डालचंद अहिरवाल  
(421-बी.)

नया नाम :

(नितिन राज)

पिता-स्व. श्री डालचंद अहिरवाल,  
पता-सिविल वार्ड नं. 6, विवेकानंद नगर, दमोह.**नाम परिवर्तन**

मैं, शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा नाम श्रीमती जयन्ती गुप्ता उर्फ सुषमा गुप्ता, आयु 40 वर्ष पत्नी श्री सुनील गुप्ता, निवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, वार्ड नं. 4 सेवदा, जिला दतिया मध्यप्रदेश की हूँ. मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम में एक पॉलिसी नम्बर 202491635 है. जिसमें मेरा नाम जयन्ती गुप्ता अंकित है. जब मेरी शादी नहीं हुयी थी मुझे घर पर जयन्ती के नाम से जाना जाता था. मेरी शादी हो गयी है तथा समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सुषमा अंकित है. जयन्ती व सुषमा नाम की मैं ही एक मात्र महिला हूँ इस नाम की मेरे अलावा अन्य कोई महिला नहीं है. ऐसीस्थिति में मेरी पॉलिसी नम्बर 202491635 दिनांक 28-08-2009 में जयन्ती गुप्ता उर्फ सुषमा गुप्ता अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि मुझे उक्त पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो. मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ जब मैंने दिनांक 28-09-2009 को भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा सरल पॉलिसी टेबल नम्बर 165-15 ली थी. जिसमें मेरा नाम जयन्ती गुप्ता उर्फ सुषमा गुप्ता अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(जयन्ती गुप्ता)

(426-बी.)

नया नाम :

(सुषमा गुप्ता)

पत्नी-श्री सुनील गुप्ता.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-विदित है कि मैं इशिका जैन शपथ करती हूँ मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी क्रमांक 200161971 में मेरा नाम संजना जैन अंकित है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों बैंक पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य में मेरा नाम इशिका जैन अंकित है. यह कि संजना जैन एवं इशिका जैन दोनों ही नाम मुझे शपथकर्ता के ही हैं. वर्तमान में मुझे इशिका जैन के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है. यह कि, मुझे शपथकर्ता को अपनी पॉलिसी न. 200161971 में अपना नाम संजना जैन के स्थान पर इशिका जैन दर्ज कराना चाहती हूँ जिसकी सत्यता में यह शपथपत्र प्रस्तुत है.

पुराना नाम :

(संजना जैन)

(427-बी.)

नया नाम :

(इशिका जैन)

पुत्री-स्व. श्री लक्ष्मण जैन,  
हाल निवासी-5-ए, न्यू शांतिनगर, लशकर,  
ग्वालियर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Ujjwal Sarkar S/o Mr. Pradip Sarkar do hereby affirm that, I have changed my name from Ujjwal Sakar to Ujjwal Sarkar which is right and true due to Mismatching of Name in 10<sup>th</sup> Class Marksheet & Migration Certificate in CBSE Board Chennai.

Old Name :  
( UJJWAL SAKAR )  
S/o Mr. Pradip Sarkar.

New Name :  
( UJJWAL SARKAR )  
S/o Mr. Pradip Sarkar.  
R/o SMQ, No. 218/3, Chetak Complex,  
Airforce, Maharajpur, Gwalior.

(428-B.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारणों को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम गीता कुशवाह से बदलकर नया नाम गिरजा कुशवाह रख लिया है। मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम से जाना, पहचाना एवं उपयोग किया जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :  
( गीता कुशवाह )

नया नाम :  
( गिरजा कुशवाह )  
W/o स्व. श्री दिलीप कुशवाह,  
पता-आंगनबाड़ी केन्द्र के पास,  
तिघरा ब्रिज, बेलदारपुरा, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(429-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारणों को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम पारो से बदलकर नया नाम पार्वती रख लिया है। मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम से जाना, पहचाना एवं उपयोग किया जावे एवं मेरी एलआईसी की पॉलिसी नम्बर 200743007 में भी मेरा नया नाम पार्वती अंकित किया जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :  
( पारो )

नया नाम :  
( पार्वती )  
W/o देवसिंह,  
पता-मैथाना मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(430-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स विवान सोलर रूफटोप इपीसी, 1, नेहरु कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश 474011.

साझेदार:-फर्म में 6 साझेदार हैं।

1. श्रीमती आरती गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता, निवासी ए-72, पुष्पांजली, एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली.
2. श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, निवासी फ्लैट नं. 305, शिवनन्दा नगर, बैंगलोर.
3. श्री सुमीत गुप्ता पुत्र श्री अशोक गुप्ता, निवासी बी-105, सन्नी साईड, लोखण्डवाला कॉम्प्लैक्स, ब्रैडकॉफ्ट बेकरी के सामने, अन्धेरी वैस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400053.
4. श्री अमित बंसल पुत्र श्री प्रेम नारायण बंसल, निवासी 1, नेहरु कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश 474011.
5. श्री मुदित गर्ग पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल, निवासी 6, मित्र वाटिका, रानीपुर मोर, हरिद्वार उत्तराखण्ड-249401.
6. श्री अन्शुमन मुदंडा पुत्र श्री श्याम बाबू मुदंडा, निवासी मुदंडा नर्सिंग होम, नया बाजार, ग्वालियर मध्यप्रदेश-474001.

यहकि साझेदारों कि आपसी सहमति से दिनांक 4 मार्च, 2020 को साझेदारी में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार एक साझेदार श्रीमती आरती गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता, निवासी ए-72, पुष्पांजली एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली साझेदारी से हट गई है तथा एक नया साझेदार ओर जोड़ा गया है जिनका नाम श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, निवासी ए-72, पुष्पांजली एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली है।

आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मैसर्स विवान सोलर रूफटोप इपीसी,  
अमित बंसल,  
( पार्टनर ).

(422-बी.)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

क्र./परि./2020/1120.-इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2014/1088, विदिशा, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 से श्री सदगुरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सदगुरू नगर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र. डी.आर./व्ही.डी.एस./781, दिनांक 09 जून, 2011 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लटेरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा श्री सदगुरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सदगुरू नगर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सदगुरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सदगुरू नगर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र. डी.आर./व्ही.डी.एस./781, दिनांक 09 जून, 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1220)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1160.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खिरियाजोगीर का निर्वाचन ड्यू हो गया है. संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है. कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है. जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही. डी.एस./933, दिनांक 07 अगस्त, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ.

(1221)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1161.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुंजारी का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./910, दिनांक 22 मार्च, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1222)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1162.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गौडखेडी का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./898, दिनांक 23 जनवरी, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1223)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1163.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौपडा का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./869, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1224)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1164.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दैलाखेडी का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./814, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1225)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1165.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिसराई का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./879, दिनांक 03 जुलाई, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1226)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1166.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रमपुरा का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./884, दिनांक 29 जुलाई, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1227)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1167.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कस्बा बगरौद का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./850, दिनांक 04 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1228)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1168.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकलखेडी का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./870, दिनांक 30 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1229)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1169.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नौलाई का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./849, दिनांक 28 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1230)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1170.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विजयपुर का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./951, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1231)



विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1171.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बहरयाई का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./859, दिनांक 28 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1232)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1172.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुआखेडी का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./818, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1233)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1173.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मढिपुर का निर्वाचन ड्यू हो गया है. संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है. कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है. जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./899, दिनांक 27 जनवरी, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ.  
(1234)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1174.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, किशनपुर का निर्वाचन ड्यू हो गया है. संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है. कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है. जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./947, दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ.  
(1235)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1175.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोतला का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./963, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1236)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1176.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मटयाई का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./922, दिनांक 08 मई, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1237)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1177.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./860, दिनांक 28 मार्च, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1238)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1178.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बूढीबागरोद का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./831, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1239)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1179.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेनवाडा का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव

अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./827, दिनांक 08 फरवरी, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1240)

विदिशा, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/1180.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर का निर्वाचन ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। प्रबंधक क्षेत्रीय संगठक दुग्ध शीत केन्द्र ग्यारसपुर द्वारा पत्र दिनांक 01-07-2020 से अवगत कराया है। कि संस्था कई वर्षों से बन्द है एवं चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना था। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./886, दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को जारी करता हूँ।  
(1241)

के. के. द्विवेदी,  
उप-पंजीयक.

**कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	अवंतिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	379/28-04-1981	1352/29-08-2020

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

**संजय देवलालीकर,**

(1192)

परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

### कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बीना

सागर, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना	922/13-09-2002	1601/06-07-2016
2.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना	687/30-07-1996	1602/06-07-2016
3.	जनसेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना	622/03-01-1990	1603/06-07-2016
4.	रेल्वेकॉलोनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना	1149/02-09-2004	1604/06-07-2016
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटोरा	1197/15-04-2005	311/20-02-2017
6.	पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घंसरा	1035/28-03-2003	318/20-02-2017
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिरोल	1068/05-06-2003	315/20-02-2017

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखितरूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेड स्टॉक संस्थाओं का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावों, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

**प्रभाकर कण्ड्या,**

(1242)

परिसमापक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भापाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2020-अग्रहायण 6, शके 1942

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकी सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. सर्वाधिक जिलों के सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.

4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.

8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.

9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

























1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	.. पर्याप्त	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	17.0	..	..	..	..	धान	..	..	सामान्य	..	..	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	.. पर्याप्त	..	..	..	..	धान ज्वार	..	..	कम कम	10%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	.. कम	..	..	..	..	गन्ना तुअर धान	..	..	कम कम सामान्य	50% 15%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.







1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		1.4 पर्याप्त	..	..	..	..	धान	..	..	अप्राप्त	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	किरनापुर		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बैहर		1.0	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	वारासिवनी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कटंगी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	लालबर्वा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	तिरोडी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	परसवाड़ा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	बिरसा		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	खैरलाँजी		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

(1219)

बी. बी. अग्निहोत्री,  
उप-आयुक्त,  
वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.